

उत्तर प्रदेश शासन  
 नगर विकास अनुभाग-8  
 संख्या-1838 / 9-8-2012-2सी.एस./2012  
 लखनऊ: दिनांक: ॥ सितम्बर, 2012  
कार्यालय-ज्ञाप

मा० सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशालाओं से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में दायर रिट याचिका-(सिविल) 309/2003, लक्ष्मीनारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया के सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अद्वै शा० पत्र संख्या-7/4/2011-ए.डब्लू.डी. दिनांक 02.7.2012 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पशुवधशालाओं के संचालन से सम्बन्धित विषयों के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार “राज्य स्तरीय समिति” का गठन किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग।	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, श्रम विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, गृह विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
6	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, सेन्ट्रल फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स अथारिटी आफ इण्डिया के प्रतिनिधि	सदस्य
7	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो पुलिस महानिरीक्षक स्तर से कम न हो।	सदस्य
8	सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य
9	मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
10	राज्य सरकार द्वारा नामित 02 प्रख्यात व्यक्ति	सदस्य
	(1) श्री अनवार अहमद खां, निवासी मौलाना मुहम्मद अली जौहर रोड, बराबर ग्रीन वुड स्कूल, रामपुर।	
	(2) श्री मनवीर सिंह चिकारा, आवास विकास कालोनी-1 टेम्पो स्टैड, अमरोहा।	
11	सम्बन्धित स्थानीय नागर निकाय के नगर आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो	सदस्य
12	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।	सदस्य सचिव

संख्या—1838(1) / 9—8—2012—2 सी.एस./ 2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अर्द्ध शा० पत्र संख्या—7/4/2011-ए. डब्लू.डी. दिनांक 02.7.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी / मा० राज्य मंत्री जी नगर विकास विभाग।
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- ५ 10. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, सेन्ट्रल फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स अथारिटी आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
11. मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
- ५ 14. श्री अनवार अहमद खां, निवासी मौलाना मुहम्मद अली जौहर रोड, बराबर ग्रीन वुड स्कूल, रामपुर।
- ५ 15. श्री मनवीर सिंह चिकारा, आवास विकास कालोनी—1 टेम्पो स्टैंड, अमरोहा।
16. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

( यशवन्त राव )  
विशेष सचिव।  
४